सामान्य प्रशासन अनुभाग

विषय: अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नगद पुरस्कार दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या-976/तीन-[illegible]/73 दिनांक 15 मई 1978 शासनादेश संख्या-2954/तीन-5[illegible]/73 दिनांक [illegible] जून 1979 तथा शासनादेश संख्या-2487/तीन-5[illegible]/85सा.प्र.अनु. दिनांक 7 जुलाई 1987 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय "अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत अलंकृत उत्तर प्रदेश के नागरिकों को तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित संशोधित दरों पर एक मुश्त धनराशि तथा एन्यूटी[illegible] जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदत्त सहायता		संशोधित धनराशि तथा एन्यूटी की दरें ।	
	एक मुश्त धनराशि (रुपये में)	एन्यूटी/पेंशन (प्रतिमाह रुपये में)	एक मुश्त धनराशि (रुपये में)	एन्यूटी/पेंशन (प्रतिमाह रुपये में)
1. अशोक चक्र	20,000	200	40,000	400.00
2. कीर्ति चक्र	12,000	100	25,000	300.00
3. शौर्य चक्र	5,000	100	10,000	200.00

2- उपर्युक्त के संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-04 के लेखा शीर्षक 2075-विविध-सामान्य सेवायें -आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04 अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों के रूप में एक मुश्त धनराशि के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-[illegible]-726/दस-99 दिनांक 17 अप्रैल 1999 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(ए.पी. सिंह)
प्रमुख सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, कम्प्यूटर सेल उत्तर प्रदेश ।
3- महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद ।
4- अवर सचिव भारत सरकार रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली ।
5- अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
6- जनरल आफिसर कमांडिंग -इन-चीफ, मुख्यालय मध्य कमान लखनऊ ।
7- एडजुटेन्ट जनरल, सेना मुख्यालय, डी. एच. क्यू. पी. ओ. नई दिल्ली-110011
8- निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0लखनऊ ।
9- सैनिक कल्याण अनुभाग-1
10- वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-6

आज्ञा से,

रणवीर सिंह
विशेष सचिव